

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग

सं.एमईईडी/एम/4-जी/(डीबीटी-जेडी)

परिपत्र

विषय: मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में बंकरिंग को बढ़ावा देने के लिए की गयी पहल.

मुंपोट्र, हे बंदर तथा मॅलेट बंदर उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं के अलावा जवाहरद्वीप में बार्ज सम्हलाई सुविधाओं में विकास करके मुंबई पोर्ट को बंकरिंग के रूप में बढ़ावा देना चाहता है. बंकरिंग प्रक्रिया को अनुकूल बनाने के क्रम में मुंबई पोर्ट ने बंकरिंग प्रक्रिया के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए पहल की है. मुंपोट्र इस पर भी सहमत है कि, मुंबई पोर्ट में बंकरिंग के लिए लाए गये जहाजों/बार्जों के लिए एजेण्ट/जहाज मालिकों द्वारा देय जहाज से जुड़े सभी प्रभारों के लिए मुंपोट्र द्वारा 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी. बंकर बिक्री का लक्ष्य 2.5 दशलक्ष टन प्रति वर्ष रखा गया है, जिसे अगले 5 वर्षों में 31.3.2023 की समाप्ति तक प्राप्त किया जाना है.

प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ता बंकरिंग प्रचालन जारी रखने के लिए निम्नलिखित अधिसूचनाओं/नोटिसों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है-

- (क) मुंबई सीमाशुल्क द्वारा जारी दिनांक 4.1.2017 की, व्यापार सुविधा नोटीस सं.01/2017.
- (ख) बंकर आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए वाणिज्य नौवहन नोटिस सं.3/2014 .
- (ग) बाहर चलने वाली / तट पर चलने वाली जहाजों के लिए बंकर इंधन तथा ल्युब्रिकंट की बिक्री पर वॉट के संबंध में महाराष्ट्र सरकार की वर्तमान नोटिस.

मॅलेट बंदर / हे बंदर में जारी ट्रक/पाइपलाइन की वर्तमान सुविधा अगले आदेश तक जारी रहेगी.

2. मुंबई पोर्ट में बंकरिंग प्रचालन के लिए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया साझेदारों के साथ परामर्श करके तैयार की गयी है, जो निम्न प्रकार है:

❖ पंजीकरण:

प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं सीमाशुल्क हाउस एजेण्ट, जहाज एजेण्ट, बार्ज मालिक/प्रचालकों को बंकरिंग कारोबार जारी रखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फार्म एवं 11,300/- रुपये पंजीकरण शुल्क प्रस्तुत करने के बाद मुंबई पोर्ट के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है. यह पंजीकरण एक वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा और इसे प्रभावी नवीनीकरण प्रभार 5,650/- रुपये के भुगतान के बाद नवीनीकरण किया जायेगा. पंजीकरण फार्म के अतिरिक्त बार्ज मालिक/बार्ज प्रचालकों को निम्नलिखित जानकारी/कागजात उप संरक्षक को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:

- (i) बार्ज विवरण एवं मालिक के ब्यौरे.
- (ii) आयएसपीएस अनुपालन घोषणा पत्र.
- (iii) कर्मियों की सूची (प्रभावी पास/गोदी प्रवेश परवाना रखना आवश्यक है.)

सीमाशुल्क हाउस एजेण्ट/जहाज एजेण्ट जिनका मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग के साथ पंजीकरण (मुंपोट्र के वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में सूचीबद्ध) हुआ है, उन्हें पुनःपंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है.

बार्ज मालिक/बार्ज प्रचालक जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ पहले पंजीकृत (मुंपोट्र वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में सूचीबद्ध) हैं. उन्हें पुनः पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है.

टिप्पणी: उपरोक्त दर्शाये गये पंजीकरण तथा नवीनीकरण प्रभार प्रशुल्क प्राधिकार महा पत्तन द्वारा अनुमोदित वर्तमान दरमान के अनुसार हैं.

इसके अतिरिक्त बंकरिंग हेतु लगाये गये बार्जों के लिए मुंबई हार्बर में बार्जों के संचालन लिए निम्नलिखित शर्तें बंधनकारी होगी.

- (अ) लागूनुसार बार्जों के पास वैध वाणिज्यिक समुद्री व्यापार मंडल/ वाणिज्यिक समुद्री व्यापार विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है.
- (ब) बार्जों के पास हार्बर जलपान लायसंस/पास पायलॉट लायसंस होना आवश्यक है.
- (स) बल्क में पेट्रोलियम उत्पाद वहन करने के लिए बार्जों के पास संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों यानी एमएमडी (वाणिज्यिक समुद्री व्यापार विभाग) आदि द्वारा जारी लायसंस होना चाहिए तथा उनके पास अन्य चीजे यानी पी एवं आय, हल तथा मशीन का बीमा तथा (एआयएस फिटमेंट- वार्षिक आधार पर होना आवश्यक है.

❖ **मुंबई पोर्ट से सप्ताह में सभी दिन चौबीसों घण्टे कागजात निपटारा के लिए एकल खिड़की:**

मुंबई पोर्ट बंकर बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करेगा जो जीपीओ मुंबई के सामने पोर्ट प्रचालन सेवा केन्द्र से सप्ताह में चौबीसों घण्टे संचालित होगा. **एकल खिड़की निपटान सुविधा** बंकर आवेदनों के लिए सभी प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं को उपलब्ध करायी जायेगी. यह प्रणाली विभिन्न साझेदारों तथा बंकरिंग के परीक्षण प्रयोग के दौरान मिले प्रतिसाद के बाद कार्यान्वित कीया जायेगी. इस बीच बंकर प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी.

मॅलेट बंदर/हे बंदर में भरे जाने वाले बंकर के लिए पोर्ट के उप यातायात प्रबंधक प्रचालन सेवा केन्द्र को संबोधित एकल आवेदन (फारमेट अनुलग्नक-I) एवं जांच सूची बंकर खिड़की के ई-मेल आयडी bunkering@mbptmail.com के माध्यम से किया जायेगा.

यदि बंकर एमओटी-जेडी में भरा जाना हो तो एकल आवेदन (अनुलग्नक - II) एवं जाँच सूची बंकर खिड़की के ई-मेल आयडी bunkering@mbptmail.com के माध्यम से गोदी मास्टर, एओटी-जेडी को अग्रेषित किया जायेगा.

प्रारंभ में सभी निपटान ई-मेल/व्यक्तिगत के माध्यम से बंकरिंग आवेदन प्राप्त होने के बाद ई-मेल/स्कॅन अथवा हार्ड कापी के माध्यम से उप प्रबंधक जेडी/उप या.प्र. द्वारा किया जायेगा. बाद में इसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े बंकर पोर्टल के साथ समिलित किये जाने का प्रस्ताव है. जाँच सूची का अनुपालन प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मुंपोट्र को प्रस्तुत किया जायेगा तथा बंकरिंग की सभी शर्तों के अनुपालन के बाद मुंपोट्र द्वारा प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं को निम्नलिखित अनुमति दी जायेगी.

1. बार्ज लगाने के लिए डॉक मास्टर की अनुमति
2. मुंपोट्र के पीएसएमओ से अग्नि एवं संरक्षा अनुपालन
3. यातायात तथा मरीन विभाग से क्रमशः घाट शुल्क तथा पोर्ट शुल्क आदि का निपटान.

❖ **मुंपोट्ट को किया जाने वाला भुगतान:**

मुंबई पोर्ट में आयपीओएस (एकिकृत प्रचालन प्रणाली) तथा पीसीएस (पोर्ट सामुदायिक प्रणाली) कार्यरत है. तथा जब तक निर्धारित समय में मुंपोट्ट द्वारा बंकर पोर्ट क सृजन नहीं होता है वह घाट शुल्क तथा जहाज संबंधी प्रभारों का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जायेगा. मॅलेट बंदर / हे बंदर के लिए घाट शुल्क तथा जहाज संबंधी प्रभारों के भुगतान की वर्तमान प्रणाली अगले आदेश तक जारी रहेगी.

1. भौतिक / उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दर स्तर पर घाट शुल्क का भुगतान एन इ एफ ली / आर टी जी एस प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने की आवश्यकता है.

प्रत्यक्ष/उत्पाद के लिए यानी जिन वेंडरों के पास निर्धारित मात्रा के आधार पर प्रत्येक बंकर सालाय के लिए जमा खाता है उसके लिए पोर्ट द्वारा ई-डेबिट नोट की प्रक्रिया जारी की जायेगी तथा राशि को वेंडर के जमा खाता से डेबिट की जायेगी तथा प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ताओंको मेल के माध्यम से ई-डेबिट नोट भेजा जायेगा. यदि बंकर सुपर्दगी नोट के माध्यम से कोई कम अथवा अधिक आपूर्ति पायी जाती है, (पोर्ट को बंकर सुपर्दगी नोट की प्रति प्रस्तुत की जायेगी) तो पोर्ट द्वारा महीने के अंत में क्रेडिट/डेबिट नोट की प्रक्रिया जारी की जायेगी. जमा खाता विवरण की जानकारी वेंडर को उपलब्ध करायी जायेगी और हर तिमाही में इसका मिलान किया जायेगा.

2. पोर्ट शुल्क/जल वहन सुविधा/पायलट प्रभार/घाट भाडा प्रभारों का भुगतान प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं के नामित बार्ज प्रचालक/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा. प्रत्येक बार्ज प्रचालक/अधिकृत प्रतिनिधि को बंकर ईंधन आपूर्ति के लिए मुंबई पोर्ट के साथ पंजीकृत करना तथा इस प्रभार की सभी राशि के भुगतान के लिए पोर्ट के साथ खोला गया जमा खाता रखना आवश्यक है. हर बार आपूर्ति के लिए पोर्ट द्वारा ई-क्रेडिट नोट निकाला जायेगा तथा राशि अपने आप उसके जमा खाता से डेबिट हो जायेगी. प्रत्येक तिमाही में मिलान किया जायेगा. जमा राशि ई-भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भरा जाना है.

पोर्ट को सभी भुगतान अधिकृत ई-भुगतान माध्यम यानी एनईएफटी और आरटीजीएस से करना होगा.

❖ **बंकरिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया:**

जो बंकर घाट स्थित तथा बाहरी बंदरगाह एवं पोर्ट मालभाडा लंगरगाह स्थित जहाजों को बंकर आपूर्ति करते हैं. उन्हे तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित प्रक्रिया को अमल में लाना होगा. जिसे इस मामले में अब तक के सभी आदेश रद्द हो जायेगें.

1. जहाज के जहाज मालिक/मुख्य अभियंत जिसे बंकर अपेक्षित है उसके प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ता अथवा व्यापारी को अग्रिम बंकर मंगाने/ त्वरित बंकर आपूर्ति के लिए मांगपत्र भेजे.
2. प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ता अथवा व्यापारी सीमाशुल्क निपटान तथा शिपिंग बिल निकालने के सीमाशुल्क हाऊस एजेण्ट नियुक्त करें.
3. प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ता को बंकरिंग के लिए (एक आवेदन) अग्नि एवं संरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी जाँच सूची के साथ मुंपोट्ट को आवेदन करना होगा.

4. प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ता अथवा उनके अधिकृत सीमाशुल्क हाऊस एजेण्ट को शिपिंग बिल के अनुसार अग्रिम में मुंपोट्ट को घाट शुल्क भुगतान करना आवश्यक है.
5. प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ता अथवा व्यापारी द्वारा नियुक्त प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ता जहाज को बंदर सुपुर्दगी तथा बंकर सुपुर्दगी नोट निकालने के लिए आपूर्ती स्थान के आधार पर बार्ज प्रचालक को लगायें तथा बंकर सुपुर्दगी नोट निकालें
6. बार्ज प्रचालक मॅलेट बंदर/हे बंदर/जेडी 2 में निर्धारित बार्ज में बंकर भरें.
7. बार्ज प्रचालन, यदि लागु हो, अपेक्षित पोर्ट शुल्क आदि का भुगतान करे.
8. बार्ज प्रचालक बंकर मंगाने पर निर्धारित स्थान पर जहाज को बंकर सुपुर्द करें.
9. जहाज के जहाज मास्टर/मुख्य अभियंता बंकर सुपुर्दगी नोट को अंतिम रुप देते हैं, और उसे बंकर आपूर्ति के बाद बार्ज प्रचालक को सौंपा जाता है.
10. बार्ज प्रचालक प्रत्यक्ष/ उत्पाद आपूर्तिकर्ता को अंतिम बंकर सुपुर्दगी नोट सौंपते हैं.
11. प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ता मुंपोट्ट को भुगतान की गयी घाट शुल्क का अंतिम बंकर के आधार पर मिलान करते है.

नोट:

- (अ) बंकर के लिए बुलाये गये जहाज/ बार्ज को निकाले गये विसीएन के अनुसार मुंपोट्ट को जहाज से संबंधित प्रभारों का भुगतान करना होगा. मुंपोट्ट जहाजों/बार्जों के लिए एजेण्ट/ जहाज मालिक द्वारा देय सभी जहाज संबंधी प्रभारों के लिए 50 प्रतिशत की छूट देगा, जो केवल बंकर के लिए बुलाए जाते है.
- (ब) बाहरी लंगरगाह पर बंकरों की आपूर्ति की अनुमति केवल बार्ज वर्गीकरण के अनुसार महा निदेशक, नौवहन के साथ पंजीकृत बार्जों को होगी, जो स्थान/ समय/ आपूर्ति का मौसम पर निर्भर होगा, जैसे एम एस श्रेणी/ आर एस वी श्रेणी.
- (स) प्रत्यक्ष/ उत्पाद आपूर्तिकर्ता बंकर बुलाये जाने पर जहाज का विवरण भी बार्ज मालिक/ प्रचालक को सूचित करते है जो निम्नलिखित है:
 - (i) यातायात आगमन/ आपूर्ति का संभावित समय
 - (ii) जहाज का नाम
 - (iii) उत्पाद विवरण
 - (iv) उत्पाद की मात्रा
 - (v) आपूर्ति का स्थान (घाट/ लंगरगाह)
 - (vi) जहाज एजेण्ट
- द) प्रत्यक्ष/ उत्पाद आपूर्तिकर्ता बंकर मंगाने के लिए मुंपोट्ट को निपटान की एकल खिडकी प्रणाली पर ऑनलाईन आवेदन करेंगे, जो पोर्ट प्रचालन सेवा केन्द्र, जीपोओ के सामने, मुंबई से संचालित होगा और सप्ताह में चौबीसों घण्टे कार्य करेगा. आवेदन के साथ में अग्नि तथा संरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन संबंधी जाँच सूची तथा बंकर मंगाने के लिए लगाये जाने वाले बार्जों का निम्नलिखित विवरण देना होगा.
 - (i) बार्ज का विवरण,

- (ii) किनारा टॉक से भरने का संभावित समय,
- (iii) जहाज को सुपुर्दगी का संभावित समय,
- (iv) पूर्तता का संभावित समय,
- (v) वैध गोदी प्रवेश परवाना तथा प्रभावी पास रखने वाले कर्मी की सूची,
- (vi) संरक्षा जाँच सूची

ई) कागजातों के सत्यापन के बाद मुंपोट्ट बार्ज में बंकर भरने के लिए अनुमति देगा, जो घाट शुल्क तथा प्रभावी जहाज संबंधी प्रभारों के भुगतान तथा बंकर संरक्षा जाँच सूची के अनुपालन पर निर्भर होगा. बंकरिंग के बारे में उपसंरक्षक, या.प्र., के औ सु ब, यांविअवि, अग्नि एवं संरक्षा, भारतीय तटरक्षक तथा भारतीय नौसेना को स्वतः प्रदर्शित ई-मेल द्वारा सूचित किया जायेगा.

प) बंकरिंग प्रक्रिया में शामिल बार्ज का मुंपोट्ट के साथ पंजीकरण होना तथा निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है

- (i) बार्ज प्रोफाईल का अनुमोदन
- (ii) मुंपोट्ट द्वारा वी सी एन निकालना
- (iii) बार्ज प्रचालक द्वारा अग्रिम प्रभारों का भुगतान (पोर्ट शुल्क, घाट भाड़ा प्रभार, जल वहन सुविधा आदि)

फ) मुंपोट्ट की अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ता/बार्ज प्रचालक द्वारा घाट पर आवश्यक होज कनेक्सन लगाकर बार्ज में बंकर भरा जा सकता है.

रात मे बंकरिंग :

सीमाशुल्क अधिसूचना एफ.सं. ओएस/43-712/2015-16 दिनांक 04.01.2017 के अनुसार मुंबई पोर्ट में रात के समय भी बंकरिंग की अनुमति होगी.

माल चढाने/उतारने के दौरान बंकरिंग :

माल चढाने/उतारने के दौरान भी बंकरिंग की अनुमति होगी.

पंपिंग दर :

यहाँ कम से कम 150 टन प्रति घण्टा के पंपिंग दर पर बंकर की आपूर्ति सुनिश्चित के लिए पर्याप्त सुविधायें होगी.

रिसाव की जिम्मेदारी :

बार्ज लदान स्थान पर प्रारंभिक जिम्मेदारी प्रत्यक्ष/उत्पाद आपूर्तिकर्ता पर होगी. बंकरिंग प्रचालन के दौरान जहाज/बंकर बार्ज सीधे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि, रिसाव रोकने के लिए संरक्षा के सभी पूर्व उपाय ठीक से किये गये हैं. तथापि, यह सुनिश्चित करने से, कि, जाँच सूची में शामिल नुसार सभी संरक्षा उपाय का अनुपालन किया गया है

बार्ज आपरेटर मुक्त नहीं हो जाता है. बार्ज प्रचालक को सुनिश्चित करना होगा की, जाँच सूची में शामिलनुसार सभी संरक्षा उपायों का अनुपालन किया गया है और वह सभी संरक्षा उपाय बंकरिंग प्रारंभ होने के पहले किये गये है. बार्ज प्रचालक को रिसाव के संबंध में उचित बीमा सुविधा सुनिश्चित करना होगा.

नोट: साझेदारों से प्राप्त प्रतिसाद पर विचार करके समय समय पर एसओपी की समीक्षा करेंगे और तदनुसार समय समय पर आगे के प्रभारों को शामिल किया जायेगा.

हस्ता
मुख्य यांत्रिक अभियंता

प्रति,

- 1) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, अंचल - I
- 2) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (पी)
- 3) सीमा शुल्क आयुक्त, निर्यात/आयात, अंचल - I
- 4) कप्तान, भारतीय नौसेना
- 5) मुख्य स्टाफ अधिकारी, भारतीय तट रक्षक
- 6) वरि. कमांडेण्ट, केओसुब, मुंपोट्र
- 7) मेसर्स बीपीसीएल, मुंबई
- 8) मेसर्स एचपीसीएल, मुंबई
- 9) मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., मुंबई
- 10) स्टीमर एजेण्ट संघ, मुंबई
- 11) मुंबई सीमा शुल्क ब्रोकर संघ, मुंबई
- 12) मान्सा (MANSA)

बंकरिंग अनुमति के लिए अनुरोध फार्म

अनुलग्नक - 1

प्रति,

उप यातायात प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी (मरीन बिल)

प्रचालन सेवा केन्द्र,

जीपीओ के सामने, मुंपोट्ट,

मुंबई - 400 001

महोदय,

जहाज का नाम :

वीसीएन सं. :

जहाज का स्थान :

बंकरिंग प्रचालन के लिए अनुमति.

हम मेसर्स उपरोक्त जहाज में बंकर की अनुमति के लिए अनुरोध करते हैं.

तिथि :

समय :

स्थान :

हम निम्न द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए बंकर आपूर्तिकर्ता को नियुक्त किये हैं.

बार्ज

रोड टैंकर

किनारा आधारित बंकरिंग प्रतिष्ठान

बार्ज का नाम :

वीसीएन सं. :

अथवा

रोड टैंकरों का विवरण तथा सं:

अथवा

बंकर आपूर्तिकर्ता का नाम :

मेट्रिक टनों में बंकर की मात्रा :

बंकर आपूर्तिकर्ता का प्रकार :

भवदीय

मुंबई पोर्ट के उपयोग हेतु

यातायात विभाग की अनुमति :

- i) यातायात प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी प्रमाणित करें कि, टैंकर पर घाट शुल्क संग्रहित किये गये हैं.

बशर्ते कि :

- i) अनुलग्नक - 3 (संरक्षा जाँच सूची) में शर्त का अनुपालन हो.
iii) उत्पन्न प्रदूषण के लिए, यदि कोई हो सफाई प्रभागों/दण्ड की वसूली हो.

बंकरिंग अनुमति के लिए अनुरोध फार्म

अनुलग्नक - 2

प्रति,

उप यातायात प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी (मरीन बिल)
प्रचालन सेवा केन्द्र,
जीपीओ के सामने, मुंपोट्ट,
मुंबई - 400 001
महोदय,

जहाज का नाम :

वीसीएन सं. :

जहाज का स्थान :

बंकरिंग प्रचालन के लिए अनुमति.

हम मेसर्स उपरोक्त जहाज में बंकर की अनुमति के लिए अनुरोध करते हैं.

तिथि :

समय :

स्थान :

हम निम्न द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए बंकर आपूर्तिकर्ता को नियुक्त किये हैं.

बार्ज

रोड टँकर

किनारा आधारित बंकरिंग प्रतिष्ठान

बार्ज का नाम :

वीसीएन सं. :

रोड टँकरों का विवरण तथा सं.

अथवा

बंकर आपूर्तिकर्ता का नाम :

मेट्रिक टनों में बंकर की मात्रा :

बंकर आपूर्तिकर्ता का प्रकार :

भवदीय

मुंबई पोर्ट के उपयोग हेतु

यातायात विभाग की अनुमति :

- i) यातायात प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी प्रमाणित करें कि, टँकर पर घाट शुल्क संग्रहित किये गये हैं.

बशर्ते कि :

- i) अनुलग्नक - 3 (संरक्षा जाँच सूची) में शर्त का अनुपालन हो.
iii) उत्पन्न प्रदूषण के लिए, यदि कोई हो सफाई प्रभागों/दण्ड की वसूली हो.

बंकरिंग संरक्षा जाँच सूची

1. कोई भी बंकरिंग प्रचालन प्रारंभ करने ले पहले प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ताओं को अच्छी तरह से भरकर बंकरिंग संरक्षा जाँच सूची प्रस्तुत करना होगा. एक प्रति प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता के पास रहेगी और एक प्रति प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए बंकरिंग आवेदन के साथ मुंपोट्ट को प्रस्तुत करना होगा. प्रचालन सुविधा के लिए सहा. हार्बर मास्टर/उप प्रबंधक जेडी ई-मेल के माध्यम से पोर्ट अग्नि एवं संरक्षा विभाग को जानकारी के लिए सूचित करेंगे.
2. प्रचालन सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि, जाँच सूची में सभी प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया जायेगा. यदि कोई सकारात्मक उत्तर संभव नहीं है तो उसका कारण देना होगा और बंकरिंग प्रचालन प्रारंभ करने से पहले पोर्ट अग्नि एवं संरक्षा विभाग की अनुमति प्राप्त करना होगा. जहाँ लागू होने संबंधी प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है तो उस संबंध में एक नोट समाविष्ट करना होगा. यदि किसी समय जहाज और अथवा बार्ज / रोड वाहन / किनारा बंकरिंग प्रतिष्ठान की तरफ से व्यक्तिगत अथवा उनके निमंत्रण में किसी उपकरण द्वारा संरक्षा को कोई खतरा होता है, तो प्रचालन तुरंत बंद करना होगा. बंकर की सुरक्षित संहलाई की प्रारंभिक जिम्मेदारी प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता की होगी.
3. हर समय बंकरिंग प्रचालन की पर्याप्त पर्यवेक्षण बनाये रखने की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि और बंकर ग्रहण करने वाले की होगी. बंकरिंग प्रचालन समाप्त होने पर किसी प्रकार के तेल रिसाव से बचने के लिए आपूर्तिवाली जहाजों/वाहनों /प्रतिष्ठान को स्थानान्तरण के पहले होजों को निकालना होगा और जोडों को बंद करना होगा.
4. जाँच सूची अंतिम नहीं है तथा हर समय संबद्ध परम्पराओं / नियमों / विनियमों के अनुसार सभी प्रभावी अतिरिक्त सावधानी लेना होगा.
5. जाँच सूची का अनुपालन करना होगा और घोषणा पर प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता और बार्ज प्रचालन दोनों का हस्ताक्षर करना होगा.

6. प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता द्वारा बंकरिंग के लिए लगाये जाने वाले बार्जों का विवरण निम्न प्रकार है.

बंकर के लिए बुलाये गये जहाज का नाम एवं आयएमओ सं.		बार्ज का नाम	
		पंजीकरण संख्या	
बंकरिंग की तिथि		समय	घाट
बंकर का प्रकार		बंकर की मात्रा	
आपात कालीन सम्पर्क नं.	एजेण्ट	आपूर्तिकर्ता	
	नाम	नाम	
	दूरभाष न.	दूरभाष न.	

प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता आवेदन के साथ उपरोक्त के अनुसार विवरण प्रस्तुत करेंगे.

घोषणा -

हमने जहाँ उचित है संयुक्त रूप से जाँच की है, जाँच सूची के मद अनुदेशों के अनुसार हैं तथा हम स्वयं संतुष्ट हैं कि, जो प्रविष्टियाँ हमने की हैं वह हमारी सम्पूर्ण जानकारी में सही हैं.

हमने आवश्यकता के अनुसार बारंबार जाँच जारी रखने की व्यवस्था भी की है तथा सहमत हैं कि, जाँच सूची के 'आर' में कोड किये उन मदों की कम से कम घण्टे के अन्तराल में जाँच की जायेगी.

यदि हमारी जानकारी में किसी मद की स्थिति में बदलाव होता है, तो हम तुरन्त अन्य पार्टी को सूचित करेंगे.

जहाज/बार्ज के लिए	प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता के लिए
नाम :	नाम :
संवर्ग :	संवर्ग :
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
तिथि :	तिथि :
समय :	समय :

बारंबार जाँच का अभिलेख

तिथि			
समय			
जहाज / बार्ज के वास्ते हस्ताक्षर			
प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता के वास्ते हस्ताक्षर			

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
पोर्ट अग्निशमन सेवा

बंकरिंग संरक्षा जाँच सूची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

दिनांक _____

शिप / बार्ज _____

मास्टर का नाम: _____

घाट लगाने के पूर्व जहाज / बार्ज द्वारा जाँच

	बंकरिंग	पोत	बार्ज	कोड	अभ्युक्ति
1.	बार्ज ने ग्रहण करने वाली जहाजों के पास जाने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की है.				
2.	दफरा की जाँच की गयी है, वे अच्छी स्थिति में है और धातु से धातु टकराने की कोई संलावना नहीं है.				
3.	बार्ज से जहाज को जोड़ने वाले पर्याप्त विद्युत प्रवाह साधन यथा स्थान है.				
4.	सभी बंकर होज अच्छी स्थिति में है तथा अपेक्षित सेवा के लिए उपयुक्त है.				
स्थानान्तरण पूर्व जाँच					
5.	बार्ज को सुरक्षित रूप से बाँधा गया है.				
6.	जहाज / बार्ज के बीच पहुँचने के सुरक्षित साधन है.				
7.	उत्तरदायी अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार सुविधा स्थापित की गयी है.				विएचएफ/युएचएफ प्रारंभिक प्रणाली बैकअप प्रणाली आपातकालीन विराम सिग्नल

8.	बंकर ग्रहण करने वाले बार्ज/जहाज के ऊपर प्रभावी निगरानी है.				
9.	बार्ज और जहाज के ऊपर अग्नि होज तथा अग्निरोधक उपकरण तुरन्त उपयोग के लिए तैयार है.				
10.	सभी बरनाला अच्छी तरह से बंद किये गये है. स्थायी रूप से निकाले गये बरनाला प्लगों की हर समय निगरानी की जायेगी. जोड़ों के आसपास डेक पर और बंकर टैंक सुराख पर संग्रहण दस्तरी रखी गयी है.				
11.	प्रारंभिक तैयारी की जाँच की गयी है और बिना उपयोग वाले बंकर कनेक्शन निकाले गये है तथा उन्हें पूरी तरह से बोल्ट से कसा गया है.				
12.	स्थानांतरण होजों का पूरी तरह से जाँच किया गया है और अच्छी तरह से बोल्ट से कसा गया है तथा वे जहाज एवं बार्ज पर मॅनीफोल्ड के लिए सुरक्षित है.				
13	कार्गो प्रणाली, इंजन कक्ष उभाड़ तथा बंकर लाइनों से जुडे ऊपर के वाल्व को बंद किया गया है और उसे सील किया गया है.				
14	सभी कार्गो तथा बंकर टैंक हॅच टक्कन को बंद किया गया है.				
15	बंकर टैंक के पदार्थ की नियमित समय समय पर निगरानी की जायेगी				
16	तेल रिसाव स्वच्छता सामग्री की आपूर्ती तुरन्त उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है.				
17	मुख्य रेडियो ट्रांसमीटर परियल को जमीना से जोड़ा गया है.				
18	स्थापित विएचएफ / युएचएफ ट्रांसरिसीवर तथा एआयएस उपकरण सही विद्युत प्रक्रिया पर है और बंद किये गये है.				
19	धुम्रपान कक्ष की निश्चित किये गये हैं तथा धुम्रपान प्रतिबंध का पालन किया जा रहा है.				निर्धारित धुम्रपान कक्ष टैंकर बार्ज

20	खुली लाइट नियंत्रण पर ध्यान दिया जा रहा है.				
21.	रहने के सभी बाहरी दरवाजों एवं पोर्टों को बंद किया गया है.				
22.	बंकर स्थानान्तरण संबंधी प्रत्यक्ष संरक्षा डॉटा पत्रक अनुरोध के अनुसार प्रदान किया गया है.				
23.	बंकरों में सम्हाले जा रहे जहरीले पदार्थों से जुड़े जोखिमों की पहचान की गयी है और इसे समझा गया है. H ₂ S पदार्थ बेंजीन पदार्थ				

कॉड कालम के 'ए' अथवा 'आर' पत्र की मौजूदगी निम्नलिखित को दर्शाती है:

ए ('करारनामा') यह किसी करारनामा अथवा प्रक्रिया को दर्शाता है जिसे जाँच सूची में चिन्हित करना अथवा कुछ परस्पर स्वीकार्य फार्म में संप्रेषित करना आवश्यक है.

आर ('पुनः जाँच') यह उचित समय में मदों की पुनः जाँच करना है, दर्शाता है जैसा कि दोनों पक्षों सहमती हुई है और घोषणा में बताया गया है. संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं होगा जब तक कि सभी पक्ष उनके हस्ताक्षरित जिम्मेदारियों तथा दायित्वों की जाँच नहीं कर लेते है तथा स्वीकार नहीं कर लेते है.

बंकरिंग प्रचालन के संरक्षा अनुदेश

1. बंकरिंग में शामिल जहाजों के मास्टर / बार्ज प्रचालक सुनिश्चित करेंगे कि, बंकरिंग केवल तभी की जायेगी, बशर्ते कि,
 - क. प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता बंकरिंग जाँच सूची पूर्ण रूपेण भरे है और प्रस्तुत किये है.
 - ख. बंकर जाँच सूची में सभी प्रश्नों का सच्चाई के साथ उत्तर दिया गया है.
 - ग. बंकर जाँच सूची जहाजों के बंकरिंग के लिए शामिल जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा पूरी तरह भरी गयी है और हस्ताक्षरित है.
 - घ. पोर्ट अग्निशमन सेवा बंकरिंग काल के दौरान प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी जाँच सूची के अनुपालन के लिए अचानक जाँच करेंगे.
2. बंकरिंग में शामिल जहाजों / बार्जों के मास्टर सुनिश्चित करेंगे कि, पूर्ण रूपेण भरी गयी और हस्ताक्षरित जाँच सूची बंकरिंग के दौरान उनके जहाजों / बार्जों के ऊपर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी गयी है.
3. जहाजों / बार्जों के मास्टर यह पता करने के पहले बंकरिंग प्रारंभ नहीं करेंगे कि जाँच सूची के अनुसार सभी संरक्षा साच धातिमाँ उपलब्ध है.
4. जहाजों / बार्ज के मास्टर सुनिश्चित करेंगे कि,
 - (i) जहाज के डेक पर मौजूद सभी सदस्य अनवरत रूप से बंकरिंग प्रचालन का पर्यवेक्षण कर रहे है.
 - (ii) बंकरिंग के दौरान टँकों जिसे भरा जाना है उसका किसी प्रकार के रिसाव को रोकने के लिए उसका नियमित अन्तर में मापन लिया गया है.
5. किसी रिसाव की स्थिति में बंकरिंग प्रचालन में शामिल जहाज के मास्टर/बार्ज के प्रचालक को तुरन्त हार्बर मास्टर/उपप्रबंधक जेडी, पोर्ट अग्नि सुरक्षा अधिकारी को निम्नलिखित जानकारी के साथ सूचित करना अनिवार्य है.
 - (i) रिसाव का स्थान
 - (ii) तेल रिसाव का प्रचार
 - (iii) अनुमानित मात्रा
 - (iv) अब तक की गयी कार्रवाई